46

नवीन पु० – 2347/2016

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर मप्र·

निग. 2347 – I – 16

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

1– श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व· काशीराम
आयु 55 वर्ष, व्यवसाय – कृषि

2– जयराम पुत्र स्व·श्री काशीराम आयु 32वर्ष

3– बाबूरनधीरपुत्र स्व·श्री काशीरामआयु 28साल

4– मनोज पुत्र काशीराम आयु 27 वर्ष

5– गिरिजा बाई पुत्री काशीराम आयु 25साल

6– किरन पुत्री काशीराम आयु 22 साल

समस्त निवासीगण – ग्राम बिशनपार

तहसीलग्यारसपुर जिला विदिशा म प्र·

-- आवेदकगण

श्री चन्द्र श्रीवास्तव, अभि० [redacted] 18·7·16को [redacted] 18·7·16 [redacted] कोर्ट [redacted] म.प्र. ग्वालियर

154 18·7·16

बनाम

राजकुमार पुत्र गजराज सिंह आयु 50 वर्ष

व्यवसाय – व्यापार निवासी – राहतगढ,

शनिबाजार, जिला सागर म.प्र·

-- रेस्पोंडेन्ट

निगरानी अधीन धारा 50 म प्र भू राजस्व संहिता

विरुद्ध आदेश दिनांक 8·7·2016 पारित न्यायालय तहसीलदार

ग्यारसपुर जिला विदिशा के प्रकरणक्रमांक 3/अ–6 / 14–15

राजकुमार बनाम काशीराम से व्यथित होकर।

माननीय न्यायालय

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2347-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.2.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3) (46)	